अमर सिंह विवादों में फँसे

नई राजनैतिक जमीन की तलाश

अमर सिंह आज स्वयं उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां वह अपने पूर्व समाजवादी दोस्त को देखना चाहते थे। वह लगातार चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं। हकीकत सामने आने के बाद दोस्तों ने उनसे दूरी बना ली है तो अदालत का शिकंजा कसता जा रहा है। ऊपर से किडनी की बीमारी और फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन से संबंध बिगड़ना। उनसे जुड़ी कई घटनाएं एक के बाद एक घटी हैं। जैसे- कथित सीडी मामले में प्रसिद्ध अधिवक्ता और जन लोकपाल बिल की ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य शांति भूषण और प्रशांत भूषण पर बेवजह आरोप। ११ मई २०११ को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पांच साल से उनकी विवादित सीडी पर लगी रोक को हटाना। पहले कांग्रेस पर सीडी के दुरुपयोग का आरोप और उसके बाद इस बात से मुकरने पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। प्रशांत भूषण का अमर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करना। मुलायम को सपा का 'डान' बताना। यह ऐसे मुद्दे हैं जिन्होने अमर सिंह का दिन का चैन और रात की नींद हराम कर रखी है।

कभी समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह के साथ रहकर उन्हें सत्ता की सीढ़ियां चढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और उनसे दूर होने के बाद उनको बरबाद कर देने की कसम खाने वाले पूर्व दिग्गज सपा नेता (अब लोकमंच के संयोजक) अमर सिंह आज स्वयं उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां वह अपने पूर्व समाजवादी दोस्त को देखना चाहते थे। वह लगातार चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं। हकीकत सामने आने के बाद दोस्तों ने उनसे दूरी बना ली है तो अदालत का शिकंजा कसता जा रहा है। ऊपर से किडनी की बीमारी और फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन से संबंध बिगड़ना। उनसे जुड़ी कई घटनाएं एक के बाद एक घटी हैं। जैसे- कथित सीडी मामले में प्रसिद्ध अधिवक्ता और जन लोकपाल बिल की ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य शांति भूषण और प्रशांत भूषण पर बेवजह बेतुके आरोप। ११ मई २०११ को उच्चतम न्यायालय ने पांच साल से उनकी विवादित सीडी पर लगी रोक को हटाना। पहले कांग्रेस पर सीडी के दुरुपयोग का आरोप और उसके बाद इस बात से मुकरने पर उच्चतम न्यायालय की फटकार। प्रशांत भूषण का अमर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करना। मुलायम को सपा का 'डान' बताना। यह ऐसे मुद्दे हैं जिन्होने अमर सिंह का दिन का चैन और रात की नींद हराम कर रखी है। रही सही कसर विवादित सीडी के प्रसारण में उनका किसी बिपाशा नाम की युवती (जिसे फिल्म अभिनेत्री समझा जा रहा है) से ओछी हरकत में बातचीत करने ने पूरी कर दी, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने २० मई ११ को एक अहम फैसले में प्रवर्तन निदेशालय को राज्यसभा सदस्य अमर सिंह के खिलाफ लगे धन शोधन के आरोपों की जांच करने का आदेश देकर उनको कहीं का नहीं छोड़ा। उच्च न्यायालय ने यह आदेश समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव अमर सिंह की एक याचिका को खारिज करते हुए दिया। इस याचिका में अमर ने दो साल पहले अपने खिलाफ कानपुर में दर्ज कराई गई एक प्राथमिकी को चुनौती दी थी। प्राथमिकी में उन पर आरोप लगाया गया था कि जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी तब वह कथित तौर पर कई वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त थे। न्यायमूर्ति इम्तियाज मुर्तजा और न्यायमूर्ति एसएस तिवारी की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय को जांच का आदेश तो दिया ही, जांच शुरू होने के एक माह के भीतर एक स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। स्थिति रिपोर्ट पेश होने के बाद अमर सिंह के बुरे नक्षत्र अपना असर दिखा सकते हैं। अमर सिंह की गिरतारी पर रोक की याचिका भी इलाहाबाद हाइकोर्ट से खारिज हो चुकी थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को जो जांच के आदेश दिए हैं, वह मामला कानपुर से जुड़ा है। अमर सिंह के खिलाफ कानपुर स्थित बाबूपुरवा पुलिस थाने में १५ अक्टूबर २००९ को एक स्थानीय निवासी शिवकांत त्रिपाठी ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनिराम और धन शोधन अधिनिराम के तहत प्राथमिकी दर्ज करा थी। इसी प्राथमिकी को सिंह ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। त्रिपाठी ने भी अदालत से संपर्क किया था और अनुरोध किया था कि मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय से कराई जाए। सिंह और त्रिपाठी की याचिकाओं को नत्थी कर दिया गया और पीठ ने सुनवाई की। इसके बाद २८ मार्च को पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिरा था। पूर्व सपा नेता अमर सिंह की ओर से दलील देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने अमर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को 'जालसाजी और दुर्भावना से की गई कार्रवाई' करार देते हुए कहा कि इसकी वजह केवल राजनीतिक शत्रुता थी। उन्होंने कहा कि इसलिए यह प्राथमिकी खारिज करने लायक है। इस पर अदालत ने कहा कि दस्तावेजों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कार्रवाई को दुर्भावनावश और राजनीतिक शत्रुता के आधार पर खारिज कर दिया जाए। अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से अमर पर लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लिया। याचिका में कहा